हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/1/25 पत्रावली पेश/वकील पक्षकार उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि स्वहर निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया गया/पत्रावली फैसला सुनाया है नियम से बाद की पत्रावली जिला लेखा भण्डार में शामिल हो। उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
38/2023	07.07.2023	03.09.2025

बउनवान

1. योगेश
2. अनिल
3. प्रवीण पुत्रान सोमदत्त
4. निर्मल देवी
5. भारती देवी
6. संजय देवी पुत्रीयान सोमदत्त
7. सुमन पत्नी सोमदत्त जातियान ब्राह्मण नि0 मनेठी तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:— प्रार्थी/वादी

बनाम

1. श्रीमान श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर लैण्ड होल्डर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: अप्रार्थी/वादी

प्रार्थना पत्र :— अन्तर्गत धारा 136
भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि :—

1. यह है कि विवादित आराजी हाल ख० न0 437 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम मनेठी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज० में स्थित है। जो प्रस्तुत प्रा0 पत्र/वाद पत्र में विवादित आ0 कहलायेगी। जो प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त आराजी है। जिस पर पूर्वजो के समय करीब 60 वर्ष पूर्व से मिन प्रार्थीगण बिना किसी ऐतराज व विरोध के शांतिपूर्वक काबिज काश्त है।
2. यह है कि विवादित आ० ख० न० 437 रकबा 1.26 कुल किता 1 कुल रकबा 1.26 वाके ग्राम मनेठी के राजस्व रिकार्ड में मिन प्रार्थीगण के पिता तीन भाई है जिनके 1/6–1/6 भाग दर्ज है। तथा सुरेशचन्द पुत्र राधेश्याम का 1/2 हिस्सा दर्ज है अर्थात प्रार्थीगण के दादा व अन्य सहखातेदार उक्त आराजी में 1/2–1/2 भाग के खातेदार थे चूंकि प्रार्थीगण के दादा भानीसहाय के तीन पुत्र थे सजरा निम्न प्रकार है :—

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

भवानीसहाय (भानीराम)

सोमदत्त | बसंतराम | रामनिवास

1. योगेश (पुत्र)
2. अनिल (पुत्र)
3. प्रवीण (पुत्र)
4. निर्मल देवी (पुत्री)
5. भारती देवी (पुत्री)
6. संजय देवी (पुत्री)
7. सुमन देवी (पत्नी)

3. यह है कि प्रार्थीगण के पिता का गांव मे बोलता नाम ब्रह्मदत्त है जबकि वास्तविक नाम सोमदत्त ही है। इस कारण से पूर्व में राजस्व कर्मचारियों द्वारा अमल करते समय जमाबंदी बनाते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीगण के पिता का नाम सहवन से सोमदत्त के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा ब्रह्मदत्त का नाम दर्ज कर दिया गया अर्थात ब्रह्मदत्त पुत्र भवानीसहाय कर दिया जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है मिनवादीगण के हक हकूको के खिलाफ बातिल व बेअसर है ना काबिल पाबंदी है कानूनन गलत है काबिल दुरुस्ती है अपने राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत एंट्री बाबत दिनांक 10/06/23 को मिन वादी ने अपने राजस्व रिकार्ड की नकल लेने के लिए हल्का पटवारी मनेठी से मिले तो राजस्व रिकार्ड में गलत एंट्री की सर्वप्रथम जानकारी हुई, उसके बाद सम्बंधित राजस्व जमाबंदी की नकल प्राप्त करके तहसीलदार मुण्डावर के समक्ष उंक्त गलत एन्ट्री को दुरूस्त कराने बाबत दि० 12/6/23 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार मुण्डावर ने हल्का पटवारी के नाम आदेश किये लेकिन हल्का पटवारी मनेठी कई दिनों तक तो टाल बाल करता रहा लेकिन अब दि० 15/6/2023 को स्पष्ट इंकार कर दिया और अदालत से आदेश लेकर आने के लिए कहा इसलिए प्रार्थी द्वारा अपने अधिकारों की रक्षार्थ अविलम्ब ही प्रा० पत्रध्वाद पत्र पेश करना आवश्यक आया है।
4. यह है कि विवादित आराजी कुल आराजी का 1/6 भाग है जो प्रार्थीगण को अपने पिता सोमदत्त से विरासत में प्राप्त हुआ है, मुलाहिजा के लिए विवादित आ० का पुराना रिकार्ड जमाबन्दी मिलान क्षेत्रफल प्रा० पत्र के साथ संलग्न है। तथा अन्य आराजीयात की जमाबंदी जिसमें योगेश पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

सोमदत्त, अनिल पुत्र सोमदत्त, निर्मल पुत्री सोमदत्त, संजय पुत्री सोमदत्त, भारती पुत्री सोमदत्त प्रवीण पुत्र सोमदत्त, सुमन पत्नी सोमदत्त जाति ब्राह्मण नि० मनेठी खातेदार स्पष्ट रूप से दर्ज है तथा इसी प्रकार प्रार्थीगण की समस्त दस्तावेज मतदाता पहचान कार्ड, आधार कार्ड, एवं राशन कार्ड में भी सोमदत्त, इण्डियन ऑयल को० लि० गैस कनैक्शन में भी सोमदत्त पुत्र भवानी सहाय, j-v-v-n-l के डिमाण्ड नोटिस न० 6686 पर सोमदत्त पुत्र भवानीसहाय तथा विधुत बिल मी० न0 124848 पर सोमदत्त पुत्र भवानीसहाय एवं स्कूली दस्तावेज सभी में पिता के नाम के स्थान पर सोमदत्त ही दर्ज है और मिन वादी की माता की पेंशनर वार्षिक सत्यापन स्लिप पर भी सुमन देवी पत्नी सोमदत्त, दी अलवर सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि० शाखा मुण्डावर के खाता सं० 12011112010165380 में भी नाम सुमन देवी पत्नी सोमदत्त, मिन वादी की माता के आधार कार्ड नं0 925706398390 में भी नाम सुमन देवी पत्नी सोमदत्त, मिन वादी के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी नाम सोमदत्त नि० मनेठी पोस्ट जालावास तह० मुण्डावर जिला अलवर नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है उक्त विवादित आ० रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा सोमदत्त के स्थान पर ब्रह्मदत्त दर्ज कर दिया जो मिन प्रार्थी के अधिकारों के खिलाफ है चूंकि मिन वादी के पिता की मृत्यु हो चुकी है अब मिन वादीगण ही अपने पिता के वारिस है इसलिए अपने पिता के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में लिये जाने के अधिकारी है। लेकिन उक्त गलत ऐन्ट्री के कारण प्रार्थीगण के पिता सोमदत्त की मृत्यु दि० 21/4/09 के बाद आज तक प्रार्थीगण के नाम का अमल नहीं हो पाया है। अपने पिता से विरासत में प्राप्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में (अचानक) अक्स्मात आये गलत एन्ट्री को मिन प्रार्थीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है।

5. यह है कि विवादित आ० वादीगण को विरासत में प्राप्त होने से विवादित आ० पर पूर्वजो के समय से काबिज काश्त होने से मिन वादी को कानूनन अधिकार हांसिल हो चुके है और राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से किये गये गलत इन्द्राज को मिन वादी दूरस्त कराने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यु एक्ट 1956 पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मिन प्रार्थीगण के उक्त हाल ख० न० 437 रकबा 1.26 हैक्० के राजस्व रिकार्ड में अंकित गलत एन्ट्री "काश्तकार का नाम संख्या 1 ब्रह्मदत्त पुत्र भवानीसहाय" को हजफ कर उक्त गलत एन्ट्री के स्थान पर मृतक सोमदत्त पुत्रं भवानीसहाय के विधिक वारिसान प्रार्थीगण 1 ल० 7 को 1/7–1/7 हिस्से का समभाग में राजस्व रिकार्ड अमल दरामद कर उनको खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे, श्रीमान की महति कृपा होगी।

अंप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई विधिवत रूप से तामिल होने उपरान्त अप्रार्थी ने जबाव प्रस्तुत किया गया। जो पत्रावली शामिल है। जो इस प्रकार है कि :–

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

1. वाके ग्राम मनेठी के आराजी खसरा नंबर 437 रकबा 1.26 है० किस्म चाही तृतीय में ब्रह्मदत्त पुत्र भवानीसहाय 1/6 जाति ब्राह्मण खातेदार, बसन्तलाल पुत्र भवानीसहाय 1/6 जाति ब्राह्मण खातेदार, रामनिवास पुत्र भवानीसहाय 1/6 जाति ब्राह्मण खातेदार सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।
2. बैयनामा दिनांक 06/07/1989 द्वारा ब्रह्मदत्त, रामनिवास, बसन्तलाल पुत्रान भवानीसहाय समभाग हिस्सा 1/2 भूमि खरीद की थी जिसका नामा. संख्या 455 (बेचान) (साबिक ख.नं. 407 रकबा 05 बीघा हाल ख. नं. 437 रकब 1.26 है०) में भी ब्रह्मदत्त, रामनिवास, बसन्तलाल पुत्रान भवानीसहाय समभाग हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार दर्ज है।
3. प्रार्थी योगेश हाल राजस्व रिकॉर्ड में अपने पिता का नाम ब्रहादत के स्थान पर सोमदत्त करवाना चाहता है। मौके पर पहुच जांच करने पर ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ब्रहादत तथा सोमदत एक ही व्यक्ति है जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2072–75, प्रदर्श–2 फोटो प्रति वार्षिक पेशन प्रमाण पत्र माता सुमन देवी व अलवर सैन्ट्रल कॉ0 बैक की पास बुक की छायाप्रति, प्रदर्श–3 प्रार्थी योगेश का आधारकार्ड, प्रदर्श–4 सुमन देवी का आधार कार्ड, प्रदर्श–5 मृत्यु प्रमाण पत्र पिता सोमदत्त पुत्र भवानीसहाय दिनांक 21.03.2009, प्रदर्श–6 जमाबन्दी सम्वत 2072–75, प्रदर्श–7 प्रवीण का आधार कार्ड, प्रदर्श–8 अनील का आधार कार्ड, प्रदर्श–9 सयुक्त परिवार का पुराना राशनकार्ड, प्रदर्श–9 बिघुत बिल सन् 1990 की छायाप्रति डिमाण्ड नोटिस विघुत विभाग दिनांक 18.12.2008, बीएसएनएल विभाग का डिमाण्ड नोटिस दिनांक 15.04.2005 पजिंकरण प्रमाण पत्र रशोई गई की फोटोकोपी, प्रदर्श–10 अनील पुत्र सोमदत्त का राशनकार्ड, प्रदर्श–11 प्रवीण पुत्र सोमदत्त का राशनकार्ड, प्रदर्श–12 योगेश पुत्र सोमदत्त का राशनकार्ड पेश की।

प्रार्थी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि प्रार्थीगण के पिता का नाम दस्तावेजात में सोमदत्त है परन्तु राजस्व कर्मचारियो ने बिना सही जॉच करे ही सोमदत्त के स्थान पर ब्रह्मदत्त दर्ज कर दिया गया जो गलत है। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु वर्तमान में हो चुकी है। इसलिए प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना लाजिम आया है। प्रार्थीगण विवादित आराजी में 1/7 –1/7 हिस्से सभाग का अधिकारी है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर ब्रह्मदत्त पुत्र भवानीसहाय के स्थान पर सोमदत्त पुत्र ब्रह्म्दत्त माना जाकर प्रार्थीगण को 1/7–1/7 सभाग हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर हाल राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत दस्तोवजात व प्रार्थी वकील की बहस पर मनन करने पर विवचेन इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थीगण के पिता का सही नाम सोमदत्त दर्ज है। तहसीलदार मुण्डावर ने

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

भवानीसहाय(भानीराम)

इसकी जाँच रिपोर्ट में पुष्टि की है कि ब्रह्मदत्त पुत्र बहादुरसिंह व सोमदत्त पुत्र बहादुरसिंह एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी के सोमदत्त की मृत्यु हो चुकी है। सोमदत्त पुत्र बहादुरसिंह के विधिक वारिसान की नियमानुसार जाँच कर विधिक वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाया जाना उचित होगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार मुण्डावर की जाँच रिपोर्ट के आधार पर यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य मानता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार यह न्यायालय प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आराजी [illegible] 38 [illegible] तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 में अंकित ब्रह्मदत्त पुत्र बहादुरसिंह के स्थान पर सोमदत्त पुत्र बहादुरसिंह अमल दरामद किया जावे। सोमदत्त पुत्र बहादुरसिंह के विधिक वारिसान की नियमानुसार जाँच कर विधिक वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार मुण्डावर को आदेश जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 03.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाकर आज हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुमित जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0